13

ना/निग०/शहडोल/2018/0/195

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs 30/-

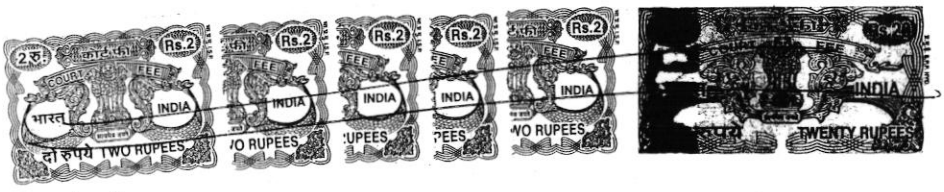

अधि० श्री अंजनी कुमार सोनी
आदेश/16-2-18

1– अंजनी पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

2– शिवप्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

3– गोपीनाथ पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

4– सुरेश प्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

5– अनिल प्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

6– उमेश पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

7– मुस0 गुलजारी पत्नी स्व0 कामता प्रसाद गुप्ता

8– रेखा पुत्री स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

9– अरूण पिता स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

10– सीताराम पिता स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

11– मुस0 कुन्ती पत्नी स्व0 श्री गजाधर गुप्ता
सभी निवासी ग्राम कुबरा, तह0 जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0

12– बबली पत्नी विजय कुमार पुत्री गजाधर गुप्ता सा0 सिहंपुर, तह0 सोहागपुर, जिला शहडोल म0प्र0

13– ऊषा पत्नी रामेश्वर गुप्ता पुत्री कामता प्रसाद गुप्ता सा0/तह0 कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

———आवेदकगण

बनाम्

1– अशोक कुमार पिता भगवान दास गुप्ता साकिन कुबरा, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

2– लछिमिनिया पत्नी रामसुजान गुप्ता पुत्री भगवानदास गुप्ता, सा0 मुकुन्दपुर तह0 अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./शहडोल/भू.रा./2018/1195 जिला शहडोल अंजनी गुप्ता विरूद्ध अशोक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 09-08-2018 को आवेदक अभिभाषक श्री जे.पी. सिंह को सुना गया । 3. उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा प्रकरण की कार्यवाही 3 माह के लिये स्थगित कर अभिलेख अनुसार संहिता की धारा 178 की मंशा के अनुरूप उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे विचारण न्यायालय में उभय पक्षों को अपने पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न्यायोचित है । जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्कता प्रतीत नहीं होती है । अत: अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 23.8.18	